

Final NOC**प्रारूप-छ (संलग्नक-6)****अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)****यूआईडी संख्या : UPFS/2023/83524/SHR/SAHARANPUR/1093/CFO****दिनांक : 23-05-2023**


प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **ALPINE VIDHYA PEETH** - पता **KH NO 1727, BEHIND SHIVANG CITY, DELHI SAHARANPUR ROAD NANAUTA, SAHARANPUR** तहसील **RAMPUR MANIHARAN** प्लॉट एरिया **6830 sq.mt** (वर्गमीटर) कुल कवर्ड **3000** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या **1** जिसमे -


ब्लॉक / टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL BUILDING	3	0	11.43mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **ALPINE VIDHYA PEETH** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन०बी०सी० एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई०एस० के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **25-05-2023** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **SANDEEP BANSAL** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थपित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन०बी०सी० की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि **26-05-2023 से 25-05-2026** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **ALPINE VIDHYA PEETH** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा / होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **ALPINE PEETH** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : As per FSSO Deoband report... This noc already approved on UID no UPFS/2023/82958/SHR/SAHARANPUR/1087/CFO Dated 20-05-2023. But in the comment only ground and first floor is mention while building is on ground, first and second floor. So applicant apply it again. Fire fighting in working condition.

“यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि/भवन के स्वामित्व/अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।”


PRINCIPAL
ALPINE VIDHYAPEETH
NANAUTA (SRE.)


CHAIRMAN
SRI SAI FOUNDATION (INDIA) TRUST